संख्या : 117 /XVII(2)/2008

प्रेषक,

अंजली प्रसाद,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

42
16/5/08

सेवा में,

निदेशक,
आई0सी0डी0एस0,
देहरादून, उत्तराखण्ड।

महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग, देहरादूनः दिनांक 16 मई, 2008

विषयः— माता समिति के माध्यम से कुक्ड पोषाहार (Cooked Supplementary Nutrition) उपलब्ध कराने के सम्बध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 122/77—कूक्ड फुड/02 दिनांक 25 अप्रैल, 2008 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, उक्त के कम में पूर्व शासनादेश संख्या 2973/XVII (2)/2005 दिनांक 21 सितम्बर 2005 के कियान्वयन में आई कठिनाईयों को देखते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य में कुक्ड पोषाहार उपलब्ध कराने हेतु एवं कार्य के मूल्याकंन एवं योजना को धरातल पर लाने हेतु पूर्व शासनादेश में निम्न आंशिक संशोधन किया जाता है। जिसके आलोक मैं सभी वित्तीय नियमो का पालन करते हुए योजना के संचालन व मूल्यांकन के लिये यह योजना **माता समिति** के रूप में प्रारम्भ की जाती है, जिसका कियान्वयन **01 अप्रैल, 2008** से लागू समझा जाएगा। योजना में माता समिति का प्रारूप निम्न प्रकार गठित कर कियान्वित किया जायेगा—

1. माता समिति का गठन :—

प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र पर 07 सदस्यों की समिति का प्रारूप निम्न प्रकार है :—

1. अध्यक्ष,
2. सचिव (पदेन) कार्यकत्री/सहायिका।
3. एक गर्भवती महिला।
4. एक धात्री महिला।
5. एक महिला जो 07 माह से 03 वर्ष के बच्चे की माता होंगी।
6. एक महिला जो 03 से 06 वर्ष के बच्चें की माता होंगी।
7. एक किशोरी।

आंगनबाडी कार्यकर्ती /सहायिका द्वारा लाभार्थियो की बैठक समिति गठन हेतु आयोजित की जायेगी। समिति के सदस्यो व अध्यक्ष का चयन गर्भवती माताओं/धात्री माताओं, 0 से 06 वर्ष तक के बच्चो की मातओं एवं किशोरियों में से किया जाएगा। बैठक में 50 प्रतिशत लाभार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी तभी समिति का गठन नियमानुसार मान्य होगा। कार्यकर्ती /सहायिका माता समिति की सदस्य सचिव होगी तथा माता समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों का चयन का अनुमोदन दो वर्ष के लिये ग्राम प्रधान द्वारा किया जायेगा। इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि समिति के अध्यक्ष अथवा सदस्य आपस में रिश्तेदार न

हों। इस हेतु एक पंजिका रखी जायेगी जिसमें प्रस्ताव एवं उपस्थिति तथा निर्णय का विवरण उल्लिखित होगा।

2– माता समिति का उत्तरदायित्व –

1. लाभार्थियों के वर्गीकरण अनुसार प्रतिदिन पोषाहार/पका भोजन व सप्ताह में एक बार टेक होम राशन उपलब्धता सुनिश्चित करना।
2. स्वच्छ जल की उपलब्धता के सम्बन्ध में सहायिका की सहायता करना।
3. गॉव के सभी बच्चों एवं गर्भवती माताओं का सम्पूर्ण टीकाकरण हेतु अभिभावकों को प्रेरित करना।
4. बच्चे को माता का पहला दूध पिलाने हेतु माता को प्रेरित करना तथा 06 माह तक केवल माता के दूध पर ही बच्चे को रखने पर सलाह देना।
5. विभाग में वितरित किये जा रहे आयोडीन आयरन युक्त नमक को लाभार्थियों को निर्धारित समय पर वितरण करना।
6. समस्त वित्तीय अभिलेखों –कैश बुक, बैंक बुक एवं बाउचर का रखरखाव सुनिश्चित करना एवं अंकेक्षण के समय मांगे जाने पर उपलब्ध करवाना आंगनबाडी कार्यकर्ती/सहायिका (सचिव) की जिम्मेदारी होगी ।

3. लक्षित समूह –

आगंनबाड़ी केन्द्र पर पंजीकृत छः माह से छः वर्ष के बच्चें, गर्भवती व धात्री माताएं शत प्रतिशत व तीन किशोरिया प्रति केन्द्र भारत सरकार के निर्देशानुसार लाभार्थी होंगे। प्रत्येक केन्द्र पर वर्ष में दो बार (जून व जनवरी माह) में सर्वे किया जाता है, जिस आधार पर तीन–तीन माह के लिए लाभार्थियों की वास्तविक संख्या निर्धारित की जाती है। आई0सी0डी0एस0 योजना के तहत पूरक पोषाहार के रूप में लाभार्थी समूह को भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार आयु आधार पर वितरित किया जाता है:–

तालिका – 1

लाभार्थी	कैलोरी (किलो कैलोरी)	प्रोटीन (ग्राम)
06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चे	300	8–10 ग्राम
गर्भवती व धात्री माताऐं	500	20–25
किशोरी बालिकाऐं	500	20–25
कुपोषित बच्चे (इन बच्चों को दुगुना पोषाहार वितरित किया जाता है)	600	16–20

4. निर्धारित व्यय –

भारत सरकार के मानक अनुसार प्रति लाभार्थी प्रतिदिन पूरक पोषाहार पर निम्नवत व्यय निर्धारित है–

लाभार्थी	अधिकतम् दर
06 माह से 06 वर्ष के बच्चे	रू0 2.00 प्रति बच्चा प्रतिदिन
अति कुपोषित बच्चे 06 माह से 06 वर्ष के बच्चे	रू0 2.70 प्रति बच्चा प्रतिदिन
गर्भवती/धात्री महिलाएं एवं किशोरी बालिकाएं	रू0 2.30 प्रति लाभार्थी प्रतिदिन

5. धनराशि का हस्तान्तरण :–

गठित माता समिति के अध्यक्ष एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ती/सहायिका (कार्यकर्ती का पद रिक्त होने की दशा में) सरकारी बैंक में पदनाम से संयुक्त रूप से खाता खोला जायेगा तथा जिला कार्यकम अधिकारी द्वारा परियोजना के सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों हेतु संयुक्त रूप से खुले खाते में सीधे अग्रिम रूप से धनराशि हस्तान्तरित की जायेगी। योजना के संचालन हेतु 650/– की प्रत्येक माह की दर से 03 माह हेतु अग्रिम के रूप के माता समिति के खाते में जमा की जायेगी। आंगनबाडी कार्यकत्री/सहायिका (सचिव) एवं माता समिति की अध्यक्ष संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण पत्र मुख्य सेविका के समक्ष प्रस्तुत करेंगी। तत्पश्चात मुख्य सेविका अपने क्षेत्र के समस्त आंगनबाडी केन्द्रो के उपभोग प्रमाण पत्र व अपने निरीक्षण के आधार पर संकलित सूचना (उपभोग प्रमाण पत्र) सहित बाल विकास परियोजना अधिकारी को प्रेषित करेगी। बाल विकास परियोजना अधिकारी समस्त उपभोग प्रमाण पत्रो को संकलित कर सूचना जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में जमा करेगा। आंगनबाडी केन्द्रो से प्राप्त उपभोग प्रमाण पत्र बाल विकास परियोजना कार्यालय में सुरक्षित रहेगें एवं बाल विकास परियोजना कार्यालय द्वारा प्रेषित संकलित उपभोग प्रमाण पत्र जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखे जायेंगे जिसके आधार पर जिला कार्यक्रम अधिकारी अग्रिम राशि का समायोजन करेगा। समिति को **एक बार में रू0 1950/–रू0 तक** के व्यय निम्न सामग्री के तहत व्यय करना होगा, जिसका समिति को प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार होगा ।

6. रेसेपी का निर्धारण –

उक्तानुसार लाभार्थियों को निर्धारित कैलोरी (**nutritious Value**) की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु पन्तनगर विश्व विद्यालय के गृह विज्ञान विभाग से रेसेपी तैयार की गयी है । या विभाग द्वारा विकसित रेसेपी बुक के आधार पर अनूपूरक पोषाहार पकाया जा सकेगा।

7. खाद्यान्न सामग्री का कय–

चूकि राज्य में पोषाहार की आपूर्ति विश्व खादय कार्यक्रम द्वारा की जा रही है अतः पोषाहार क्रय अनूपूरक पोषाहार की आपूर्ति तक समिति द्वारा नही किया जायेगा, कुक्ड फूड योजना के संचालन हेतु **कुल 650/–** पूर्वानुसार प्रदान किया जायेगा जिसका व्यय पूर्व मानको के आधार पर माता समिति द्वारा किया जायेगा । व्यय हेतु आंगनवाड़ी कार्यकर्ती माह में अनुमानित सामग्री का प्रस्ताव बनाकर माता समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी। माता समिति की स्वीकृति के पश्चात ही निधार्रित राशि का आहरण कर सामग्री का क्रय किया जा सकेगा । पोषाहार की सामग्री का क्रय समिति की देखरेख में सम्बधित केन्द्र की आंगनवाडी कार्यकत्री/सहायिका के द्वारा स्थानीय स्तर पर माह में एक बार या एक से अधिक बार मानको अनुरूप किया जायेगा। हरी सब्जियो हेतु को पोषाहार में शामिल करने के उद्देश्य से जनसामान्य को सहयोग हेतु आंगनवाडी कार्यकत्री द्वारा प्रयास किये जायेगे यदि सहयोग प्राप्त नही होता है तब सब्जियो का क्रय सुविधानुसार स्थानीय स्तर से किया जा सकेगा।

8. <u>अभिलेख एवं उनका रख–रखाव –</u>
कुक्ड फूड योजना के अन्तर्गत 04 पंजिकाओं तथा एक फाइल का प्रयोग किया जायेगा। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित अभिलेख एवं फाइल होंगे--

1. कैश बुक पंजिका।
2. लाभार्थी वितरण पंजिका।
3. स्टॉक पंजिका।
4. बाउचरों को सुरक्षित रखने हेतु एक फाइल।
5. माता समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु एक पंजिका।

09. बाउचर –
कुक्ड फूड के अन्तर्गत सत्यातिप बिलो या पक्का बाउचरों को स्वीकार किया जायेगा, लेकिन विशेष परिस्थितियों में तथा कुछ ऐसी सामग्रियों का कय जैसे हरी सब्जी, ईंधन के लिए कच्चा बिल मान्य होगा, परन्तु ऐसे. बिल पर समिति के अध्यक्ष एवं कार्यकर्ता के हस्ताक्षर दिनांक सहित होना अनिवार्य होगा।

10. <u>अनुश्रवण एवं मूल्यांकन</u>
इस योजना का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन शासन द्वारा समय–समय पर नामित अधिकारी, निदेशालय के नोडल अधिकारी तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी करेंगे। मूल्यांकन एवं अनुश्रवण वाहय एंजेन्सी से भी कराया जा सकेगा।

भवदीया,
अंजली 5/5/12
(अंजली प्रसाद)
सचिव
15.05.2008